न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— दुर्गाशंकर मीना (RAS)

वादपत्र संख्या :— 137 / 2015

1. मनोज कुमार आयु 19 साल दत्तक पुत्र बिहारीलाल जाति मीना निवासी निमोठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0

—वादी

बनाम

1. राजेन्द्र उर्फ राजूलाल आयु 46 साल आ0 कालूलाल जाति मीणा निवासी निमोठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0
2. चन्द्रकला आयु 47 साल बेवा बिहारी लाल जाति मीणा निवासी निमोठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब के0 पाटन।

—प्रतिवादीगण

वाद— अधिकार घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.ए.

एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :—

1. वादी की और से अधिवक्ता श्री मुकुट बिहारी मीणा
2. प्रतिवादी की और से श्री जनकराज मीणा।

—: आदेश :—

दिनांक—25.09.2019

1. वादी की ओर से उक्त वादपत्र बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती का दि. 20.07.2015 को पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता सं. 109 पुरानी 105 में अंकित खसरा संख्या 89 रकबा 3.21 है0, ख.सं. 110 रकबा 3.06 है0, ख.सं. 411 रकबा 1.37 है0, ख.सं. 435 रकबा 0.83 है0, ख.सं. 515 रकबा 2.16 है0, ख.सं. 581 रकबा 0.03 है0, ख.सं. 582 रकबा 0.02 है0, ख.सं. 655 रकबा 0.06 है0, ख.सं. 667 रकबा 0.12 है0, ख.सं. 668 रकबा 0.12 है0, ख.सं. 703 रकबा 0.06 है0, ख.सं. 704 रकबा 0.26 है0, ख.सं. 882 रकबा 0.12 है0, ख.सं. 893 रकबा 0.48 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 11.90 है0 वाके ग्राम व माल निमोठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में विस्थित है। जिस पर वादी का 1/4 हिस्सा निहीत है। जिस पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त वर्णित कृषि भूमि के खातेदार बिहारीलाल, राजूलाल, पिसरान कालूलाल जाति मीणा निवासी निमोठा दर्ज है। जिनमें से बिहारीलाल फौत हो चुका है जो वादी के दत्तक पिता है। जब बिहारीलाल फौत हुये उससे पहले वादी को बिहारीलाल ने अपने जीवन काल में ही अपने कोई नर संतान नही होने की वजह से वादी के प्राकृतिक माता–पिता से गोद लेने का प्रस्ताव रखा जिसको प्राकृतिक माता–पिता ने स्वीकृति दे दी एवं समाज के रिती–रिवाज के अनुसार गॉव पंच लोगो के समक्ष चार–पॉच वर्ष की उम्र में ही वादी को बिहारीलाल द्वारा गोद ले लिया गया था। इस गोद पुत्र मनोज कुमार को गोद लेने की सहमति बिहारीलाल द्वारा अपनी पत्नि चन्द्रकला से भी ले ली गई थी जो चन्द्रकला द्वारा अपनी सहमति दे दी गई थी व गॉव के पंच लोगो में पतासे भी बांटे गये थे। तब से ही वादी बिहारीलाल के पास दत्तक पुत्र की हैसियत से रह रहा है। मृतक बिहारीलाल ने अपने जीवनकाल में ही वादी के पक्ष में एक वसीयत भी लिखी थी उसके अनुसार वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज हुआ लेकिन सहवन से वसीयत में दत्तक पुत्र बिहारीलाल नही लिखा जा सका क्योंकि इसके माता–पिता ज्यादा पढे–लिखे नही थे इसलिये राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा दत्तक पिता बिहारीलाल के बजाय अपने प्राकृतिक पिता राजेन्द्र उर्फ राजूलाल का नाम लिख दिया गया। जिसको वादी दुरस्त करवाना चाहता है। वादी का स्कूल, राशन कार्ड, पहचान पत्र एवं आधार कार्ड में अपने नाम के पीछे पिता

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

के नाम के स्थान पर दत्तक पिता बिहारीलाल का ही नाम लिखा गया है और वादी को सभी जगह बिहारीलाल के दत्तक पुत्र के नाम से ही जाना जाता है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वादपत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि में दर्ज नाम मनोज कुमार पुत्र राजेन्द्र उर्फ राजूलाल को दुरस्त कर मनोज कुमार दत्तक पुत्र बिहारीलाल राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे।

3. वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने वादी के वादपत्र का इकबालिया जवाब पेश कर वादपत्र डिक्री किये जाने में अनापत्ति पेश की।
4. वकील वादी ने साक्ष्य में स्वयं वादी मनोज कुमार का शपथ–पत्र किया।
5. बहस सुनी गई। बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। अवलोकन पर प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर वाद वादी स्वीकार किया जाने में अनापति की है एवं वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है अतः स्वीकृति के आधार पर निर्णय किये जाने सबंधी विधि का अवलोकन करे तो आदेश 12 नियम 6 सीपीसी का अवलोकन किया गया। जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि स्वीकृति के आधार पर अतिरिक्त साक्ष्य लिये बगैर वादपत्र निर्णित व डिक्री किया जा सकता है। उपरोक्त इकबालिया जवाब तथा कानून के प्रकाश में वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खाता सं. 109 पुरानी 105 में अंकित खसरा संख्या 89 रकबा 3.21 है0, ख.सं. 110 रकबा 3.06 है0, ख.सं. 411 रकबा 1.37 है0, ख.सं. 435 रकबा 0.83 है0, ख.सं. 515 रकबा 2.16 है0, ख.सं. 581 रकबा 0.03 है0, ख.सं. 582 रकबा 0.02 है0, ख.सं. 655 रकबा 0.06 है0, ख.सं. 667 रकबा 0.12 है0, ख.सं. 668 रकबा 0.12 है0, ख.सं. 703 रकबा 0.06 है0, ख.सं. 704 रकबा 0.26 है0, ख.

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

सं. 882 रकबा 0.12 है0, ख.सं. 893 रकबा 0.48 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 11.90 है0 वाके ग्राम व माल निमोठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज. में मनोज कुमार पुत्र राजेन्द्र उर्फ राजूलाल के स्थान पर मनोज कुमार दत्तक पुत्र बिहारीलाल अंकित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

उक्त आदेश आज दिनांक 25.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

25/9/19

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned by CamScanner